स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के सामान्य नियम और शर्तें

"स्वतंत्र निदेशक" शब्द की व्याख्या कंपनियों अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार की जाएगी, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

बोर्ड ने वैधानिक विनियमों और दिशानिर्देशों के तहत और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए बोर्ड स्तरीय समितियों का भी गठन किया है। स्वतंत्र निदेशक को उक्त समितियों में से किसी एक या समय-समय पर गठित की जाने वाली किसी अन्य समिति(यों) में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी समितियों में उनकी नियुक्ति लागू कानून के अधीन होगी ।

1. कार्य, दायित्व और कर्तव्य

भूमिका, कार्य और कर्तव्य वे होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग विनियमों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक से अपेक्षित हैं।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के अनुसार, वे

I. कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार कार्य करें।
II. कंपनी के उद्देश्यों को समग्र रूप से उसके सदस्यों के लाभ के लिए तथा कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय और पर्यावरण संरक्षण के सर्वोत्तम हित में बढ़ावा देने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करना।
III. अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित एवं योग्य सावधानी, कौशल एवं परिश्रम के साथ करें।
IV. ऐसी किसी स्थिति में शामिल न हों जिसमें उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो जो कंपनी के हित के साथ टकराव करता हो या संभवतः टकराव कर सकता हो।
V. स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारों, साझेदारों अथवा सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ या फायदा नहीं पहुँचाएँगे अथवा पहुँचाने का प्रयास नहीं करेंगे।
VI. निदेशक के रूप में अपना पद नहीं सौंपेंगे तथा इस प्रकार किया गया कोई भी कार्यभार अमान्य होगा।

2. पारिश्रमिक और व्यय की प्रतिपूर्ति

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के रूप में ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू कानून के अनुपालन में तय किया जा सकता है।

वर्तमान में स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड या उसकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 30,000/- का भुगतान किया जा रहा है।

बैठक शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त, वे बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन, आवास और यात्रा व्यय के लिए भी पात्र होंगे।

3. अधिकारों का संघर्ष

यह स्वीकार किया जाता है कि स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी के अलावा अन्य व्यावसायिक हित भी हो सकते हैं। उनकी नियुक्ति की शुरुआत से पहले एक शर्त के रूप में, उन्हें कंपनी को बोर्ड के समक्ष ऐसी किसी भी निदेशक पद, नियुक्ति और हितों की घोषणा करनी होगी। इसके अलवा जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो उन्हें कंपनी को इसकी घोषणा करनी होती है।
बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लेते हैं और उसके बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो उन्हें यह घोषणा करनी होती है कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

4. टर्मिनेशन

स्वतंत्र निदेशक किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे विद्युत मंत्रालय और बोर्ड को इस्तीफे का उचित कारण बताते हुए लिखित नोटिस दें।
उनकी नियुक्ति का जारी रहना इस बात पर निर्भर है कि वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए तैयार हैं या नहीं, तथा शेयरधारकों द्वारा लागू कानून के अनुसार उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है या नहीं।

5. गोपनीयता

स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के दौरान कंपनी से संबंधित सभी जानकारी गोपनीय है और इसे कानून द्वारा अपेक्षित होने तक तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाना चाहिए।

6. दायित्व :

लागू कानून के अधीन, अपने कर्तव्यों के किसी भी उल्लंघन के लिए वे लागू कानून के तहत निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और कंपनी के संबंध में, वे कंपनी द्वारा की गई चूक या कमीशन के ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे जो उनके ज्ञान के साथ हुए हों, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से और उनकी सहमति या मिलीभगत से हुए हों, या जहाँ उन्होंने परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया हो।

7. विविध :

यह नियुक्ति लागू कानून के तहत अधिकतम स्वीकार्य निदेशक पदों के अधीन भी है, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार शामिल हैं।

*****